

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर, 2023

क्रमांक एफ 20-68/2019/11/(6) राज्य शासन को समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है अतएव, एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट क्रमांक-6.18 के क्रियान्वयन हेतु जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 20-68/2019/11/6 दिनांक 07.12.2019 द्वारा लागू "छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019", में 01 नवंबर, 2019 से लागू करते हुए निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

संशोधन

(एक) अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27.07.2023 के द्वारा किये गये संशोधन के प्रभाव से समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

- (1) "औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि, दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले (औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत परिशिष्ट-4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी के उद्योगों तथा परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्योगों को छोड़कर) समस्त राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान उद्योग (इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के समय लागू औद्योगिक नीति में उल्लेखित संतृप्त श्रेणी तथा कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर) सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद, मेगा एवं अल्ट्रोमेगा प्रोजेक्ट उद्योगों को उनके उत्पाद/उत्पादन के निर्यात हेतु अनुदान की पात्रता दिनांक 01 नवम्बर, 2019 के पश्चात् किये गये इकाई के द्वारा उत्पादित कर निर्यात की गई उत्पाद के परिवहन पर हुए वास्तविक व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के आधार पर परिवहन अनुदान की पात्रता होगी।"
 - (2) औद्योगिक इकाईयों को दिनांक 01.11.2019 के पश्चात् प्रथम निर्यात दिनांक या अधिसूचना जारी होने के दिनांक/जो पश्चात्वर्ती हो, से 60 दिवस की कालावधि के भीतर पूर्ण रूपेण ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत परिवहन अनुदान क्लेम में दर्शाये गये प्रथम देयक की दिनांक को प्रथम निर्यात दिनांक माना जावेगा।

प्रथम क्लेम के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले क्लेम केवल छःमाही आधार पर (वित्तीय वर्ष की अवधि में 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक अथवा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक) अगले 90 दिवस के भीतर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये स्वत्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे। इन दावों के संबंध में आवेदनकर्ता इकाई द्वारा इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित अपील/वाद के प्रावधान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपील का निराकरण किया जा सकेगा।

(3) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अथवा परिवहन अनुदान स्वीकृति होने के दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(4) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 21 के अनुसार राज्य शासन द्वारा पृथक से चिन्हांकित/अधिसूचित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को भी सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

(दो) अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27.07.2023 के द्वारा किये गये संशोधन के प्रभाव से समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-5 में वर्णित प्रक्रिया व अधिकार के उप बिन्दु क्रमांक-5.1 में सूचीबद्ध दस्तावेजों में अनुक्रमांक 10 के पश्चात अनुक्रमांक. 11, 12 व 13 को जोड़ा जाता है -

(11) पूर्व में प्राप्त परिवहन अनुदान की प्रति।

(12) EGM (Export General Manifest) Number की प्रति।

(13) शपथ पत्र (उपाबंध-3)।

(तीन) अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27.07.2023 के द्वारा किये गये संशोधन के प्रभाव से समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-5 में वर्णित प्रक्रिया व अधिकार के उप कंडिका क्रमांक 5.2 के प्रथम पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

5.2- मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा "सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा" के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण करारकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध-3" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा।

(चार) राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6), दिनांक 27.07.2023 के द्वारा किये गये संशोधन के प्रभाव से समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

“औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोड़कर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण के स्थान से निकटतम बंदरगाह एवं विमानपत्तन पोर्ट जहां से वस्तु का निर्यात होना है तक, वास्तविक भाड़ा (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के बराबर भाड़ा सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा रु. 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी, अधिकतम 05 वर्ष तक होगी। अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु सहायता की अधिकतम सीमा रु. 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी।”

(पांच) अधिसूचना क्रमांक एफ 20-68/2019/11/6 दिनांक 07.12.2019 के द्वारा लागू “छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019”, के संदर्भ में स्वीकृति आदेश (उपाबंध-1), आवेदन पत्र (उपाबंध-2) एवं शपथ-पत्र (उपाबंध-3) का समावेश किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्र. 20-68/2019/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक सितम्बर, 2023
प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
.....विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. संचालक, उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
4. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)

5. अपर संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रायपुर
6. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध कराये।
7. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
.....(छत्तीसगढ़)



सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

(नियम 5.2)

औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत “छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम – 2019” के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक..... दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019 के नियम क्रमांक 5.2 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन नियमों के अधीन निम्नानुसार परिवहन अनुदान (निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है :-

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता :
2. उद्योग का स्वरूप रु
3. औद्योगिक इकाई का संगठन :
4. उद्यमी का वर्ग :
5. उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक रु
6. उत्पाद व वार्षिक क्षमता :
7. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक :
8. औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल :
(स्थान, विकासखण्ड व जिला)
9. निर्यात आदेश क्रमांक :
10. परिवहन पर किया गया अनुमोदित व्यय :
11. स्वीकृत अनुदान राशि :
(राशि शब्दों में) :

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष के निम्न बजट शीर्षमें विकलनीय होगी।
मांग संख्या

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा।



मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(नियम 5.1)

औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान
(निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. औद्योगिक इकाई का नाम :
2. उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक रु
.....
3. संगठन का प्रकार :
4. पेन नंबर :
5. उद्यमी की श्रेणी रु
(सामान्य/एनआरआई-एफडीआई/निर्यातक/
महिला/अजजा/अजा/अपिव/विकलांग (दिव्यांग)/
भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित)
6. इकाई की श्रेणी
(सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा) :
7. उद्योग का वर्ग
(सामान्य/प्राथमिकता/उच्च प्राथमिकता) :
8. प्राथमिकता/उच्च प्राथमिकता प्रमाण
पत्र क्र.:
9. इकाई का स्थल :
- (गांव/तहसील/विकासखण्ड/जिला/एरिया पिन कोड सहित)
10. विकासखण्ड का नाम एवं श्रेणी :

11. (छ:माही अवधि का विवरण)

क्र.	उत्पाद का नाम	बिल नंबर एवं दिनांक	देश का नाम	वास्तविक भाड़ा (रु. में) (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर)
1.				
2.				
3.				
4.				
कुल				



12. उत्पादन स्थल से विमानपत्तन पोर्ट/बंदरगाह :

अ. इकाई स्वामी का नाम :

ब. मोबाईल नंबर एवं ई-मेल पता :

13. यदि पूर्व में परिवहन अनुदान प्राप्त किया गया हो तो उसका विवरण :

1. छःमाही अवधि से तक

अनुदान राशि रु. में

2. छःमाही अवधि से तक

अनुदान राशि रु. में

.....

कुल अनुदान राशि

14. संलग्नक (प्रत्येक बिल हेतु पृथक-पृथक, यदि लागू हो तो) :

- i. पूर्व में प्राप्त परिवहन अनुदान की प्रति।
- ii. भारत सरकार द्वारा जारी L.O.P. (Letter of Permission) की वैध प्रति।
- iii. IEC (Import Export Code) की वैध प्रति।
- iv. COO (Certificate of Origin) की प्रति।
- v. निर्यात (क्रय) आदेश की प्रति।
- vi. Commercial Invoice Cum Packing List की प्रति।
- vii. Bill of Lading/Airway Bill की प्रति।
- viii. Railway Receipt/Lorry Receipt की प्रति।
- ix. Shipping Bill/ Bill of Export की प्रति।
- x. EGM (Export General Manifest) Number की प्रति।
- xi. शपथ पत्र (उपाबंध-2)

नोट :- 1. किसी भी मध्यस्थ के माध्यम से किये गये निर्यात पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

2. पंजीकृत उत्पाद के अलावा किये गये निर्यात पर अनुदान की राशि देय नहीं होगी।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

दिनांक

:: केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु ::

उपरोक्त संलग्न/दस्तावेजों के आधार पर इकाई मेसर्स
को परिवहन अनुदान की पात्रता हेतु परीक्षण किया गया, परीक्षण में समस्त दस्तावेज
सत्य/असत्य पाया गया। अतः इकाई को परिवहन अनुदान की पात्रता हेतु सत्यापित/
असत्यापित किया जाता है।

दिनांक :



मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

// शपथ पत्र //

- 1- यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :-
 - 1.1 छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम 2019 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा ।
 - 1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व-प्रमाणी अभिलेख पूर्ण रूप से सही है ।
- 2- उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान प्राप्ति दिनांक तक व अनुदान प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।
- 3- भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक को परिवहन से संबंधित अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

या

भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्थाओं/बैंक को परिवहन अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।
- 5- उद्योग उत्पादनरत् व कार्यरत् है ।
- 6-
 1. जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत प्राप्त प्लांट संचालन सम्मति
 2. वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1984 के तहत प्लांट संचालन सम्मति
 3. जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत (डिस्चार्ज ऑफ एफन्यूस्ट इन टू नेचुरल वाटर रिसोसेस) की सम्मति
 4. चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा बायलर अधिनियम के अंतर्गत सम्मति
 5. अन्य सम्मतियां (जो उद्योग पर लागू होती हैं) प्राप्त कर लिया गया है ।
- 7- उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण /मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

दिनांक

टीप- आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।